(अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के लिए 01 नग वाहन किराये पर लेने हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण)

अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर हेतु 01 नग वाहन किराये पर लिए जाने हेतु खुली तृतीय निविदा आमंत्रित की जाती है जिसको रू. 500/–का शुल्क ऑनलाईन जमा कर क्रय किया जा सकेगा। तृतीय निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in/nicgep/app से ऑनलाईन देखने/पढ़ने के बाद दिनांक 16.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से क्रय किया जा सकेगा। निविदाकर्ता को अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू.10,000/– (रूपये दस हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि जमा करने तक सुरक्षित रहेगी। असफल रहे निविदाकर्ताओं को अथवा निविदा प्रक्रिया के असफल होने पर निविदा धरोहर राशि नियमानुसार संबंधितों को ऑनलाईन वापिस की जावेगी। निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी को किराये पर (IDV) 12.00 लाख की Ex-Showroom Price का **सिडान /एस.यू.वी मॉडल** वाहन अथवा 18 लाख की Ex-Showroom Price तक का इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर प्रदान करना होगा। वाहन मुख्यालय पर उपयोग हेतु अधिकतम 800 कि.मी. प्रतिमाह की सीमा पर तथा प्रवास या विशेष परिस्थिति में 800 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर कीदर पर समस्त चार्जेज (पेट्रोल/डीजल/वाहन चार्जिंग/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि) सहित निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन वाणिज्यिक परिवाहन यान (Commercial Vehicle) के रूप में दर्ज होना चाहिए तथा प्रदायकर्ता एजेंसी का मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है।

ONLINE TENDER SCHEDULE

S.N.	Particulars	Schedule
1.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	16-10-2025; 11:00 am onwards
2.	प्री–बिड मीटिंग	18-10-2025; 03:00 pm to 4:00 pm
3.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	16-10-2025; 12:00 noon onwards
4.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	07-11-2025; till 04:00 pm.
5.	ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	07-11-2025; till 05:00 pm.
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर टेक्नीकल बिड)	10-11-2025; 10:30 am
7.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर प्राइज बिड)	11-11-2025; 11:00 am

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

कार्यालय अधिष्ठाता

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर(म.प्र.)

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रं.08/ SPGMC,Mandsaur/DME/2025, मंदसौर,दिनांक 15/10/2025

2025 - 26

अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के शासकीय कार्य में उपयोग हेतु वाहन किराये पर लिये जाने की तृतीय निविदा

(तृतीय निविदा आमंत्रण)

निविदा प्रपत्र का मूल्यः 500/–(रूपये पांच सौ मात्र)

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt Medical College

कार्यालय अधिष्ठाता,
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर(म.प्र.)
Website: www.spgmcmandsaur.org Email– deanspgmcmandsaur@gmail.com

ONLINE TENDER SCHEDULE

S.N.	Particulars	Schedule
1.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	16-10-2025; 11:00 am onwards
2.	प्री–बिड मीटिंग	18-10-2025; 03:00 pm to 4:00 pm
3.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	16-10-2025; 12:00 noon onwards
4.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	07-11-2025; till 04:00 pm.
5.	ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	07-11-2025; till 05:00 pm.
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर टेक्नीकल बिड)	10-11-2025; 10:30 am
7.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर प्राइज बिड)	11-11-2025; 11:00 am

1. **कार्य का नामः–**
अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर हेतु 01 नग वाहन किराये पर लिए जाने हेतु खुली तृतीय निविदा।

2. **निविदा प्रपत्र मूल्यः–**
राशि रू. 500/–का शुल्क ऑनलाईन जमा कर निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकेगा। निविदा प्रक्रिया निरस्त अथवा निविदा अस्वीकृत होने की दशा में यह राशि वापसी योग्य नही होगी।

3. **निविदा प्रपत्र का विक्रयः–**
निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in/nicgep/app से ऑनलाईन देखने/पढ़ने के बाद दिनांक 16-10-2025 प्रातः 11:00 बजे से क्रय किया जा सकेगा।

4. **निविदा धरोहर राशिः–**
निविदाकर्ता को अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू.10,000/– (रूपये दस हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि जमा करने तक सुरक्षित रहेगी। असफल रहे निविदाकर्ताओं को अथवा निविदा प्रक्रिया के असफल होने पर निविदा धरोहर राशि नियमानुसार संबंधितों को ऑनलाईन वापिस की जावेगी।

5. **किराये पर लिए जाने वाले वाहन संबंधी अपेक्षाएं :–**
   a) निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी को निम्नानुसार लागत के वाहन किराये पर प्रदाय करने होंगेः–

प्रकार
सफेद रंग का वाहन जिसकी लागत अधिकतम रूपये (IDV) 12.00 लाख (Ex-Showroom Price) **(बडी या पूर्ण आकार की सेडान /एस.यू.वी मॉडल** वाहन) अथवा 18.00 लाख (Ex-Showroom Price) इलेक्ट्रिक वाहन ।

   b) **वाहन मुख्यालय पर उपयोग हेतु अधिकतम 800 कि.मी. प्रतिमाह की सीमा पर तथा प्रवास या विशेष परिस्थिति में 800 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर पर समस्त चार्जेज (पेट्रोल/डीजल/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि) सहित निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।**

DEAN
Sunder Lal Patwa Medical College

c) उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन वाणिज्यिक परिवाहन यान (Commercial Vehicle) के रूप में दर्ज होना चाहिए तथा प्रदायकर्ता एजेंसी का मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है।

d) वाहन अधिकतम 3 वर्ष पुराना ही अनुबंध हेतु स्वीकार किया जावेगा ।

6. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधिः–

a) निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत ऑनलाईन भरा जाना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार एवं अधिलेखन मान्य नही होगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर प्रमाणित करना होगा।

b) निविदा ऑनलाईन एवं द्विस्तरीय होगी।

c) निविदा प्रकिया का प्रथम स्तर तकनीकी निविदा है, जिसमें निविदाकर्ताफर्म/एजेंसीको परिशिष्ट 1 में चाहे गये समस्त दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगाकर अपलोड करना होगा।

d) निविदा प्रक्रिया का द्वितीय स्तर वित्तीय निविदा है, जिसमें ऑनलाईन दरें BOQ अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

7. प्री–बिड मीटिंगः–

दिनांक 18.10.2025 को दोपहर 03:00 बजे प्री–बिड मीटिंग का आयोजन अधिष्ठाता कार्यालय के कॉलेज कांउसिल हॉल में होगा। निविदाकर्ता फर्म/एजेंसीके अधिकृत प्रतिनिधि आपत्ति, सुझाव आदि दर्ज करा सकते है।

8. निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः–

ऑनलाईन निविदा **दिनांक 07.11.2025 सायं 05:00 बजे तक** जमा की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

9. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं प्रक्रियाः–

अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,मंदसौर (म.प्र.)के कॉलेज कांउसिल हॉल में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधि (यदि कोई हो) के समक्ष **दिनांक 10.11.2025 प्रातः 10:30 बजे** ऑनलाईन खोली जावेगी। यदि निविदा खोलने की दिनांक में अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।

10. निविदा का परीक्षण एवं चयन प्रक्रियाः–

a) निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन प्राप्त समस्त निविदाओं के तकनीकी निविदा के भाग को खोला जावेगा।

b) तकनीकी निविदा के मूल्यांकन उपरांत रिपोर्ट का प्रकाशन चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर किया जावेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशन के उपरांत एक दिवस के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जावेगा। समय सीमा के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा।

c) तकनीकी निविदा के मूल्यांकन तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के निराकरण उपरांत सफल **निविदाकर्ताओं** की वित्तीय निविदाऐं खोली जाऐंगी। शेष निविदाकर्ता जो तकनीकी रूप से विफल होंगे, की वित्तीय निविदाएं नही खोली जावेगा।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Medical College
(M.P.)

d) वाहन किराए की राशि में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड (Fixed) चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु Variable चार्ज प्रति किलोमीटर की दरों को पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा। L1 का निर्धारण मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड (Fixed) चार्ज से किया जाऐगा।

e) उक्त निर्धारित शर्तों के अधीन उपयुक्तदर वाले तकनीकी रूप से सफल निविदाकार को एल–1 घोषित किया जावेगा।

एक से अधिक सफलएल–1 निविदाकर्ताओंकी स्थिति में जिस निविदाकार के वाहन का मॉडल नवीन होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। **दस्तावेजों के साथ** वाहन की संपूर्ण जानकारी जैसे क्रय का वर्ष, Ex- showroom price, वाहन का कलर, वाहनका मॉडल/कम्पनीनाम/मॉडल नंबर संबधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हे

a) प्राप्त न्यूनतम/द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म को यथोचित कारण के साथ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को होगा।

b) निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को होगा।

c) विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

d) किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का केन्द्र सिर्फ न्यायालय मंदसौर ही रहेगा ।

11 अनुबंधः–

सफल एल–1 निविदाकार को अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के साथ एक वर्ष के लिये निर्धारित वाहन किराये पर लगाने हेतु राशि रु 500/– के नोटराइज्ड स्टाम्प पर स्वयं के व्यय से निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

12 **अनुबंध की समयावधि/समाप्तिः–**

अनुबंध अवधि अनुबंध निष्पादन के दिनांक से प्रारंभ होकर प्रथमतः एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने की दशा में तथा अनुबंधित फर्म के आवेदन एवं सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की क्रय समिति की अनुशसा के आधार पर अनुबंध अवधि को आगामी एक–एक वर्ष हेतु दरों में बिना किसी परिवर्तन के बढाई जा सकेगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

अनुबंध की अवधि **कुल तीन वर्ष** से अधिक **नही** की जा सकेगी।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

परिशिष्ट–1

–ःतकनीकी बिड हेतु दस्तावेजों की सूचीः–

स. क्र.	आवश्यक दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा भरा जावें।		परीक्षण समिति द्वारा भरा जावें।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित (एजेंसी की सील सहित) प्रति				
2.	ऑनलाईन जमा की गयी अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू.10,000/– (रूपये दस हजार रूपये मात्र) की रसीद				
3.	ट्रेवल एजेंसी का मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) मे जीवित पंजीयन				
4.	एजेंसी का PAN				
5.	एजेंसी का एक्टिव जी.एस.टी. पंजीयन				
6.	वाहन की संपूर्ण जानकारी जैसे क्रय का वर्ष, Ex- showroom price, वाहन का कलर, वाहनका मॉडल/कम्पनी नाम/मॉडल नंबर				
7.	परिशिष्ट –2 अनुसार घोषणा पत्र **(अनिवार्य)**				
8.	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2024–25 में फर्म का टर्न ओवर				
9.	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में फर्म का आयकर रिटर्न				
10.	परिशिष्ट –4 अनुसार घोषणा पत्र **(अनिवार्य)**				
11.	अन्य कोई यदि हो तो				
	परीक्षण समिति का अभिमत			.... **(पात्र/अपात्र)**	

नोटः– निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी के पास उक्त समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति होना अनिवार्य है।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

परिशिष्ट–2

(रु 100/– के स्टाम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

//घोषणा पत्र//

मैं..(निविदाकर्ता का नाम/फर्म/एजेंसी का नाम) पता...शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता/करती हूँ, कि मैने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को पूर्णरूप से भलि–भांति पढ़ तथा समझ लिया है।

मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है तथा मेरे द्वारा इस निविदा में दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य/गलत पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जा रही है।

मेरी/हमारी फर्म/एजेंसी को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानो द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।

गवाह के हस्ताक्षर

1. **पूरा नामः–**..
   पताः–...
   ....
2. **पूरा नामः–**..
   पताः–...
   ....

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम................................

पताः–..

....

मोबाईल नम्बरः–..

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

परिशिष्ट–3

(रूपये 500/– के स्टाम्प पर नोटराइज्ड अनुबंध पत्र)

–:अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के शासकीय कार्य के उपयोग हेतु किराये पर लगाए गए वाहन के अनुबंध की शर्तें:–

प्रथम पक्षकार : ....

एवं

द्वितीय पक्षकारः अधिष्ठाता, सुदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,मंदसौर।

मैं/हम .... **(प्रथम पक्ष)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करते हैं:–

1. प्रथम पक्षकार को अनुबंध निष्पादन करने के दिनांक से वाहन मय वाहन चालक तथा वाहन एवं चालक से संबंधित समस्त अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराया जावेगा।
2. वाहन मुख्यालय पर उपयोग हेतु अधिकतम 800 कि.मी. प्रतिमाह की सीमा पर राशि रू. .... प्रतिमाह (समस्त चार्जेज–पेट्रोल/डीजल/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि सहित) रहेगी।
3. प्रवास या विशेष परिस्थिति में 800 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर रू..................... (समस्त चार्जेज–पेट्रोल/डीजल/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि सहित) रहेगी।
4. यह अनुबंध दिनांक .... से दिनांक .... तक एक वर्ष लागू रहेगा। सेवायें संतोषप्रद पाए जाने पर आपसी सहमति से सामान दरों एवं शर्तों पर सक्षम स्वीकृति उपरांत द्वितीय पक्षकार द्वारा आगामी एक–एक वर्ष तक (अधिकतम 3 वर्श)के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
5. वाहन का माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है, जिसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी।
6. प्रथम पक्षकार को वाहन के साथ प्रशिक्षित ड्रायवर निर्धारित यूनिफार्म जिसके पास वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, जिनका व्यवहार सौम्य, मधुर हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उपलब्ध कराना होगा। वाहन चालक के चरित्र सत्यापन एवंपुलिस वेरीफिकेशन की समस्त जबावदारी प्रथम पक्षकार की होगी। यदि वाहन चालक का चरित्र संदेहहास्पद पाया जाता है तो प्रथम पक्षकार को तत्काल उसे बदल कर दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
7. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखे जाने एवं एक प्रति कार्यालय में जमा कराना प्रथम पक्षकार की जिम्मेदारी होगी।
8. प्रथम पक्षकार को वाहन हमेशा दुरस्त (फिट) हालत में उपलब्ध करवाना होगा।
9. निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नही कराने अथवा वाहन चालक अनुपस्थित होने की स्थिति में प्रथम पक्षकार द्वारा प्रस्तुत संबंधित माह के देयक से रू. 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) प्रति दिवस के मान से द्वितीय पक्षकार द्वारा जुर्माना के रूप में राशि का कटौत्रा किया जावेगा।
10. उपलब्ध कराये गए वाहन के खराब होने की दशा में प्रथम पक्षकार द्वारा 02 घंटे के भीतर संबंधित अन्य वाहन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा। निर्धारित समयावधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर राशि

रू. 200/– प्रति घंटा के मान से अधिकतम रू. 1000/– प्रतिदिवस का कटौत्रा द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।

11. प्रथम पक्षकार को उपलब्ध कराये गये वाहन की लॉगबुक संधारित करनी होगी जिस पर दैनिक चालन की पूर्ण स्थिति दर्शित रहेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतिदिन प्राप्त करने होंगे। इस लॉगबुक में किसी भी प्रकार की काट –छांट होने पर उसे उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित कराना होगा।

12. अनुबंध पर उपलब्ध कराये गए वाहन को उपयोगकर्ता अधिकारी के कार्यालय/निवास पर खड़ा करना होगा।

13. वाहन से संबंधित समस्त मेंटिनेंस (टूट–फूट, डीजल–पेट्रोल, बेट्ररी आदि) की संम्पूर्ण जबावदारी प्रथम पक्षकार की होगी एवं अनुबंध अवधि के दौरान यदि शासन द्वारा पेट्रोल,–डीजल आदि की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

14. प्रथम पक्षकार द्वारा वाहन के देयक माह के प्रत्येक 05 तारीख तक लॉग–बुक (आवंटित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित) जो कि स्पष्ट रूप से भरी गई हो, के साथ भुगतान हेतु द्वितीय पक्षकार के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

15. देयक से नियमानुसार समय–समय पर प्रचलित आयकर (GST, TDS/ITDS)का कटोत्रा करते हुए भुगतान माह की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।

16. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। वाहन चालक के वेतन एवं अन्य समस्त भत्तों के व्यय की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्षकार की होगी।

17. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन मे किसी भी प्रकार गड़बड़ी (यथा गाड़ी की रीडिंग बढ़ाये जाने/माईलोमीटर में गड़बड़ी किये जाने एवं वाहन चालक कार्य एवं व्यवहार संबंधी शिकायत) एवं अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर अधिष्ठाता,सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर द्वारा नियुक्त दल द्वारा शिकायत की पुष्टि पाये जाने पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

18. फर्म/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को हटाने, परिवर्तित करने तथा वाहन सेवा को निरस्त करने के समस्त अधिकार अधिष्ठाता,सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,मंदसौर के पास सुरक्षित रहेगा।

19. वाहन चालक के पास 24 घण्टे चालू हालत में सेलफोन होना अनिवार्य है तथा वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स होना आवश्यक होगा, जिसके संपूर्ण जबावदेही प्रथम पक्षकार की होगी।

20. सामान्यतः वाहन चालक की सेवाएं प्रत्येक कार्य दिवस एवं आवश्यकता पर किसी अवकाश के दिन भी प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।

21. इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसे– स्टेशन/एयरपोर्ट, बैठकों आदि के लिये वाहन चालक के अन्य विर्निदिष्ट समय में निर्देशानुसार सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी।

22. प्रथम पक्षकार को उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

23. शर्तो का उल्लंघन करने अथवा निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में बगैर किसी सूचना के सेवा समाप्त करते हुए निष्पादन प्रतिभूति को राजसात करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार के पास सुरक्षित रहेगा।

DEAN

24. किसी भी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का निर्णय मान्य होगा।

25. न्यायिक विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, मंदसौर में होगा।

26. उभय पक्षों की सहमति से शर्तो में संशोधन करने का अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के पास रहेगा।

स्थानः

दिनांकः

नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नम्बर, पता (प्रथम पक्षकार)	अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) (द्वितीय पक्षकार)

गवाहः—

1. ....

2. ....

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College

(रु 100/– के स्टाम्प पर घोषणा पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

//घोषणा पत्र//

मैं..(निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता..शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ, कि मैने ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। निविदा में सफल होने के पश्चात् अनुबंध के समय समस्त वाहन टेक्सी कोटे के 3 वर्ष से अधिक पुराना नही होगा, अन्यथा की स्थिति में मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त को यदि निरस्त किया जाता है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

3. पूरा नामः–...

....

पताः–...

....

....

....

4. पूरा नामः–...

....

पताः–...

....

हस्ताक्षर

निविदादाता फर्म का नाम....................

पताः–..

....

मोबाईल नम्बरः–................................

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)